



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-39/2017- 1789

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
रोहतास।

पटना, दिनांक- 10.04.24

विषय:- C.W.J.C No.- 1840/2024 (मीरा देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-08.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 1550 दिनांक 23.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा चेनारी प्रखंड के प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 13.04.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ई-मेल संवाद दिनांक-09.04.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 08.04.2024 को C.W.J.C No.- 1840/2024 (मीरा देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में सुनवाई के क्रम में दिनांक 13.04.2024 को चेनारी प्रखंड के प्रमुख के रिक्त पद पर होने वाले निर्वाचन को स्थगित कर दिया गया है। (ई0मेल संवाद संलग्न)

अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के न्यायदेश का अनुपालन की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 10.04.24

ज्ञापांक पं0नि0 30-39/2017- 1789

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

9.4.24



State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

disposal of writ petition CWJC no 1840/2024(Mira devi vs state of Bihar & Ors)

1 message

Ravi Parmar <rparmar21@gmail.com>

Tue, Apr 9, 2024 at 12:13 PM

To: State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

Secretary sir,

in respect of subject matter aforementioned it is stated that abovementioned matter wherein no confidence motion pertainin to Chenari block panchayat samiti of Rohtas district was put to challenge and wherein for vacant posts, election was notified on 13-4-2024, said matter was heard on 08-04-2024 wherein personal appearance of concerned BDO & BPRO was also there. after hearing the matter the Hon'ble Court was pleased to interfere with process of no confidence motion so passed and has set aside the same.

Election thus scheduled which was consequent action after no confidence motion which stands quashed is expected to be stopped.

Sir this is for your kind information and necessary action.

--

Ravi Ranjan,

Advocate,

Patna High Court.

Ph:- 8969238596

7004161092

email:- rparmar21@gmail.com